

अपील नियम एवं निर्धारित शुल्क

स. क्र.	विवरण	शुल्क राशि रूपयो में	भुगतान प्रक्रिया
1	2	3	4
1.	<p>प्रथम अपील – धारा 19 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के प्रश्नाधीन विनिश्चय से अथवा विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर</p> <p>अ) पारित आदेश की प्रति व्यक्तिगत प्राप्त करने पर।</p> <p>ब) पारित आदेश की प्रति डाक के माध्यम से चाहने पर</p>	<p>रु. 50 / – पचास रुपये मात्र</p> <p>रु. 75 / – पचहत्तर रुपये मात्र</p>	नगद, नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के द्वारा
2.	<p>द्वितीय अपील – धारा 19 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय पारित होने के दिनांक (अथवा वास्तविक रूप से प्राप्ति दिनांक) से अथवा अपील प्रस्तुति के पैतालिस दिवस पूर्ण होने से नब्बे दिवस के भीतर</p> <p>अ) पारित आदेश की प्रति व्यक्तिगत प्राप्त करने पर।</p> <p>ब) पारित आदेश की प्रति डाक के माध्यम से चाहने पर</p>	<p>रु. 100 / – सौ रुपये मात्र</p> <p>125 / – एक सौ पच्चीस रु. मात्र</p>	नगद, चालान, मनी आर्डर या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के द्वारा

टीप: – गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों पर उपरोक्त शुल्क प्रभारित नहीं होगा।

आदेशानुसार
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)